

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कार्यालय आदेश

अधिसूचना सं०-३/स्था०अं०अ० (संविदा)-०१/२०१३-३७५(३)/रा०, दिनांक- ३/१०/२०१३

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, २०११ के आलोक में राज्य के सभी जिलों में भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण/सर्वेक्षण कार्यक्रम को समय-सीमा के अंदर संपादित कराने हेतु विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्सीय समिति से अनुशंसित निम्नांकित सेवानिवृत्त कर्मियों को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पद पर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-९७९ दिनांक-२०.०६.२०१२ के आलोक में कुल २००००/- (बीस हजार) रूपये निर्धारित मासिक मानदेय पर संविदा के आधार पर बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष अथवा ६५ वर्ष की उम्र जो पहले धटित हो, तक के लिए नियोजित कर कॉलम-५ में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम/पत्राचार का पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पद एवं पदस्थापन स्थान
१	२	३	४	५
१.	श्री अंजनी कुमार राय पिता-स्व० महेश्वर राय, ग्राम+पो०-चाँद चौर, भाया-दलसीगसराय, जिला-समस्तीपुर,	१५.०७.५१	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय
२.	श्री पंचदेव सिंह पिता-स्व० राम छविला सिंह, ग्रा०+पो०-कचनार, भाया-कोपा बाजार, जिला-छपरा	०७.०१.५१	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय लखीसराय
३.	श्री गिरिजानंद कापरी पिता-स्व० अशर्फी कापरी, कैलाशपुरी पश्चिमी पानीटंकी, शर्बीला पैलेस, मकान सं०-६८७ए, हनुमाननगर, ककड़बाग, पटना	१२.०८.५२	अनु०जनजाति	बन्दोबस्त कार्यालय खगडिया
४.	श्री मोतिलाल सिंह पिता-स्व० निठाली सिंह, ग्रा०-मैनपुरा हाथी खाना मोड, पो०+थाना-दानापुर, पटना	११.०७.५२	पि० वर्ग	बन्दोबस्त कार्यालय सीवान
५.	श्री रामप्रवेश सिंह पिता-स्व० मिलन सिंह, राम परीक्षण पथ, प्रियदर्शनगर, डी०पी०एस० मोड, न्यू बेली रोड, पटना	३०.१०.५१	पि०वर्ग	बन्दोबस्त कार्यालय सीवान
६.	श्री सीताराम प्रसाद पिता-स्व० जंगी राम, पुरानी जक्कनपुर जगदेवनगर, पो०-जी०पी०ओ० पटना	०३.०१.५२	अ०पि०वर्ग	बन्दोबस्त कार्यालय पूर्णिया
७.	श्री द्वारिका चौधरी पिता-स्व० सीताराम चौधरी, उमा निवास, लोदीपुर, पो०-जी०पी०ओ० पटना, थाना-गाँधी मैदान, पटना	१६.०९.५१	अनु०जाति	बन्दोबस्त कार्यालय पूर्णिया

8.	श्री नन्द किशोर सिंह पिता-स्व० जगदीश सिंह, ग्रा०+पो०-लहेरी, अंचल-कोचस, जिला-रोहतास	04.12.51	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय मोतिहारी
9.	श्री बच्चा राम पिता-स्व० जंगी राम, द्वारा सुधाकान्त, आकाशवाणी कॉलोनी, फेज-1, कमरा नं०-सी० 1, छज्जुबाग, पटना	19.03.50	अनु०जाति	बन्दोबस्त कार्यालय मोतिहारी
10.	श्री चन्द्रिका सिंह पिता-श्री राजा राम सिंह, ग्रा०+पो०-दाउदपुर, जिला-सारण	29.03.51	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय कटिहार
11.	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद मुहल्ला-रतनपुरा निकट धर्मनाथ मंदिर, पो०-छपरा, जिला-सारण	15.09.50	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय पूर्णिया
12.	श्री रामानंद चौधरी पिता-स्व० उद्यो चौधरी, ग्राम+पो०-जोड़पुरा, भाया-पटोरी, जिला-समस्तीपुर	15.07.49	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय पूर्णिया

2. उपर्युक्त चयनित कर्मियों का अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी। इनके कार्यों की समीक्षा इनके नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। नियंत्री पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर आवश्यकतानुसार इनकी सेवाएँ विस्तार 2014-15 तक के लिए की जा सकती है।

3. इनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा समय-समय पर इनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो बिना किसी कारण पृच्छा किये इन्हें उक्त पद एवं कार्य से विमुक्त कर दिया जायेगा।

4. संविदा पर नियोजित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान वजट मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-102-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-उप शीर्ष-0101-सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण-माँग सं०-40-विपत्र कोड-P-2029001020101 राज्य योजना स्कीम कोड-REV-5536 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।


5. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ अनुबंध किये गए कर्मी अपने पदस्थापन स्थल एवं पद पर सात दिनों के अन्दर योगदान समर्पित करेंगे।

6. अनुबंध किये जाने के उपरान्त बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

7. अनुबंधित पदाधिकारी योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

8. इन्हें सरकारी कर्मियों को देय कोई सुविधा अनुमान्य नहीं होगी तथा मानदेय के अतिरिक्त कोई राशि अनुमान्य नहीं होगी।

9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।


 (शशि भूषण तिवारी)
 सरकार के संयुक्त सचिव